प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्याः– 77 / नाजिर सदर / निष्प्रयोज्य सामग्री / 2021–22 दिनांकः–25 फरवरी, 2021

विषयः– **प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर निवेदन करना है कि जिलाधिकारी कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी कार्यवाही की सूचना दैनिक समचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी है, जिसका प्रारूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासनादेश संख्या 242 / सू0एवं जन0सं0वि0(विज्ञा) –924 / 2014 दिनांक 30.07.2015 (प्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस कार्यालय को भी नीलामी कार्यवाही हेतु नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(वेद सिंह चौहान)
डिप्टी कलेक्टर / प्र0अधि0 नजारत
शाहजहांपुर।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहाँपुर, नजारत अनुभाग के भण्डार के अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी दिनांक– 08.3.2021 को अपरान्ह 2.00 बजे नजारत कलेक्ट्रेट शाहजहाँपुर के कार्यालय में निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष की जानी है। जिस व्यक्ति की नीलामी बोली सर्वाधित होगी उसे सामान नकद धन जमा कराकर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

गठित समिति–

1–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) शाहजहाँपुर। (अध्यक्ष)
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर। (सदस्य)
3–अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर–प्रथम, शाहजहाँपुर। (सदस्य)

नीलामी की शर्ते–

1– समिति को अधिकार होगा कि वह किसी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। सबसे उच्च बोली स्वीकार करने का अधिकार समिति को होगा।
2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को जो निष्प्रयोज्य सामान लेना चाहते हैं, जमानत के रूप में अंकन 10,000–00 रू0 नकद नाजिर सदर कलेक्ट्रेट शाहजहाँपुर में के पास नीलामी पूर्व जमा करना होगा।
3– जिस व्यक्ति की नीलामी बोली समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी, उसे बोली की धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, जिमसें जमानत की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।
4– जिस व्यक्ति की जमानत राशि जमा नहीं होगी, उसकी नीलामी में बोली स्वीकार नही की जायेगी।
5– निष्प्रयोज्य सामान का उचित मूल्य न आने पर नीलाम समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि नीलामी स्थगित कर दें अथावा पुनः नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न करें।
6– निष्प्रयोज्य सामान के नीलाम के सम्बन्ध में किसी भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही शाहजहाँपुर न्यायाल के समक्ष की जयेगी।
7– बोली बोलनें बाले पहले से ही वस्तुओं का निरीक्षण कर लें तत्पश्चात बोली बोले।

निष्प्रयोज्य सामान की सूची

83 पुराने टायर, 09 लोहे की जीर्ण–क्षीर्ण अलमारी, 100 कुर्सी लकडी की जीर्ण–क्षीर्ण, 25 कुर्सी लोहे की पाइप वाली 05 मेज लकडी, 04 मेज लोहे की 07 टाइप मशीन एवं फोटो स्टेट मशीन 12

प्रभारी अधिकारी(नजारत)
कृते जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर।

संख्याः 194/नाजिर सदर/ नीलामी/2021–2022 दिनांकः–25-02-2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद शाहजहाँपुर।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर।
3. सहायक नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहाँपुर।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायज जनपद शाहजहाँपुर।
5. नाजिर जजी कचहरी/नाजिर सदर/नाजिर विकास भवन शाहजहाँपुर को नोटिप बोर्ड पर चस्पा करानें हेतु।
6.

प्रभारी अधिकारी(नजारत)
कृते जिलाधिकारी
शाहजहाँपुर